भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3072

09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष उपचार सुविधाएं

3072. श्री राजीव राय:

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त आयुष उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश में इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार पुरानी बीमारियों के उपचार में इसकी प्रभावशीलता तथा एलोपैथी की तुलना में इसकी कम लागत को देखते हुए भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में खोली गई आयुष सुविधाओं और केंद्रों की सूची क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, आयुष उपचार सुविधाएं प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हालांकि, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 3761 आयुष औषधालय और 627 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और 666 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में सह-स्थापित आयुष इकाइयां आयुष उपचार सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान, इन आयुष उपचार सुविधाओं के लिए उन्हें 406.65 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

(ग): एनएएम के तहत, आयुष मंत्रालय आयुष औषधालयों के उन्नयन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के संचालन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन और आयुष औषधालयों के साथ-साथ पीएचसी और सीएचसी में सह-स्थापित आयुष इकाइयों को अनिवार्य आयुष दवाओं की आपूर्ति जैसी विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके उत्तर प्रदेश में इन सुविधाओं के विस्तार और संवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों को सहयोग प्रदान कर रहा है। तदनुसार, राज्य सरकार एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार, एसएएपी के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है।

आयुष मंत्रालय एनएएम के तहत, निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों को सहयोग प्रदान कर रहा है:-

i. आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों का संचालन, जिसे अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) नाम से जाना जाता है।
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/ नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण
v. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना
vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को अनिवार्य औषधियों की आपूर्ति
vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम
viii. व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी)
ix. राज्य और जिला स्तर पर गतिशीलता सहायता
x. आयुष ग्राम
xi. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है
xii. आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना भी कार्यान्वित करता है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में आबादी के सभी वर्गों तक पहुँचना है और इस योजना के तहत, मंत्रालय राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर आरोग्य मेले, योग महोत्सव/उत्सव, आयुर्वेद पर्व आयोजित करता है, आयुर्वेद दिवस सहित आयुष पद्धतियों के महत्वपूर्ण दिवस मनाता है, स्वास्थ्य मेले/मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेता है, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और मल्टीमीडिया अभियान आदि चलाता है।

जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, छत्तीसगढ़ में आयुष सुविधाएं और केंद्र खोलने की प्राथमिक जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की है। हालांकि, एनएएम के तहत, एसएएपी के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में अनुमोदित एकीकृत आयुष अस्पतालों की सूची **संलग्नक** पर दी गई है।

*****

संलग्नक

छत्तीसगढ़ में विगत पांच वर्षों के दौरान, अनुमोदित एकीकृत आयुष अस्पतालों की सूची:

क्र.सं.	स्थान	चिकित्सा पद्धति	बिस्तरों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपए में)	स्थिति
1.	जांगिड़ चंपा	आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी	10	255.50	निर्माणाधीन
2.	महासमुंद	आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी	10	255.50	निर्माणाधीन
3.	कोरिया	आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी	10	255.50	निर्माणाधीन
4.	कोरबा	आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी	10	255.50	निर्माणाधीन
5.	कांकेर	आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी	10	255.50	निर्माणाधीन
6.	नारायणपुर	आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी	10	255.50	निर्माणाधीन
7.	बीजापुर	आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी	10	255.50	निर्माणाधीन
8.	दंतेवाड़ा	आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी	10	255.50	निर्माणाधीन
9.	दल्ली राजहरा	आयुर्वेद	30	25.50	निर्माणाधीन